न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 50/2020

1. मांगीलाल पुत्र कजोड
2. गोपाल पुत्र कजोड

जाति बलाई निवासी ग्राम झाझरवाला उप तहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा राज0
...अपीलांटस

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल तह0 दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 9.11.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मांगीलाल वगै0 प्रकरण संख्या 302/2020 धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री रामस्वरूप बैरवा, अधिवक्ता अपीलांटस पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 08.06.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल ने दिनाक 9.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा के आ0ख0 न0 426 रकबा 0.04 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दंडित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का बीनावाला ने अपीलांटस के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलांटस ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 426 के रकबा 0.04है. पर पाल बनाकर अतिचार कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार सैंथल ने अपीलांट को बिना कोई विधिवत सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना निर्णय पारित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने व दो माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का ने अपीलांटस के विरूद्ध गलत व मौके के विपरीत अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलांटस ने चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांटस का पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है, ना ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है क्योंकि अपीलांटस को इस संबंध में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है, इसलिए [illegible] पश्चातवर्ती साबित किये बिना अपीलांटस को अतिकमी नहीं माना जा सकता है। [illegible] की उक्त भूमि पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार [illegible] को कानूनन सिविल कारावास की सजा करने का कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है ना ही पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह करने का मौका दिया गया है। बिना रिपोर्ट प्रदर्श हुए ही रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल का निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.16 10:09:20 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

अपीलांट फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांटस को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जिसे अपीलांट मांगीलाल की पुत्री द्वारा प्राप्त किया गया। अपीलांटस बाद तामील नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2077 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 426 रकबा 0.04है0 पर पाल बनाकर कब्जा किया जाना अंकित है। साथ ही पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस बाद तामील नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए है। अपीलांटस का यह कथन उचित नही है कि अपीलांटस को विधिवत सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नही दिया। साथ ही पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए 3 माह के सिविल कारावास का दंड देने के अधिकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को प्राप्त है। इसलिए अपीलांटस का यह कथन भी असत्य है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल को कानूनन सिविल कारावास की सजा करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति मय प्रति अभिलेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.16 10:09:20 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा